

प्रेस नोट दिनांक-30.10.2020

(1). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं महिला कल्याण व बाल विकास के लिए चलाये जा रहे महाअभियान मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक-30.10.2020 एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम सेमरा, मुरका में जाकर छात्राओं/बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जागरूकता गोष्ठी में सभी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में वरि030नि0 श्री टीकाराम वर्मा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 158/2020 धारा 376/504/506/452 भादवि0 व 04 पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त अजय भारद्वाज पुत्र देवेन्द्र निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि030नि0 श्री टीकाराम वर्मा थाना पहाड़ी
2. आरक्षी मिथलेश कुमार पाल

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया एवं पैरोकार आरक्षी ओवेश खान द्वारा कड़ी मेहनत कर प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को पैरवी हेतु चिन्हित मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो द्वारा थाना मऊ के मु0अ0सं0 297/15 धारा 376/34/452/506 भादवि0 व 04 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में नामित अभियुक्त विजय केवट पुत्र रामअभिलाश केवट (2) रामलखन पुत्र शिवबाबू केवट निवासीगण सुहेल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास से एवं 10000/-10000/- रुपये के आर्थिक दण्ड तथा अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री गुलाबचन्द्र मौर्य तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सीबू उर्फ शिवम पुत्र चुनका उर्फ रामशरण निवासीगण कस्बा व थाना रैपुरा जनपद को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.10.2020 को कस्बा रैपुरा में उदय कुमार पुत्र राजकुमार निवासी अगरहुडा थाना द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी गयी कि कस्बा रैपुरा में आर्यवर्त बैंक के सामने रामकल्याण समोसे की दुकान से सीबू उर्फ शिवम पुत्र चुनका उर्फ रामशरण द्वारा उनका मोबाइल चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 132/2020 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक रैपुरा द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना 30नि0 श्री गुलाब चन्द्र मौर्य को सुपुर्द कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। 30नि0 श्री गुलाबचन्द्र मौर्य द्वारा अपनी टीम के साथ कड़ी मेहनत कर दिनांक 29.10.2020 को अभियुक्त सीबू उर्फ शिवम उपरोक्त को टेकनो स्पार्क-5 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी:-

टेकनो स्पार्क-5 मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री गुलाबचन्द्र मौर्य थाना रैपुरा
2. आरक्षी कुलदीप
3. आरक्षी ओमप्रकाश पाल